न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 348/2005
मोहब्बत अली बनाम सुरेशचन्द्र आदि

25.05.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 220क2 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 220क2 वादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.11.2012 के अनुपालन में वादपत्र के पक्षकार मुकदमा बनाए जाने के संबंध में संशोधन किया जाना है, जिससे न्यायहित में वादपत्र में संशोधन की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए प्रार्थनापत्र 220क2 को खारिज होने योग्य बताया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 08.11.2012 द्वारा जैरून्निशां को पक्षकार मुकदमा बनाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थनापत्र 220क2 न्यायालय के आदेश दिनांकित 08.11.2012 के अनुपालन में वादपत्र में संशोधन करने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अतः प्रार्थनापत्र 220क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 220क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 17.08.2017 को पेश हो। टी0आई0 नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती